न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी एवं जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)

श्री रमाकांत वैष्णव (हुरडा, जिला भीलवाडा) निवासी फ्लैट 3,13 अमर सिंह सिंह गहलोत सोसाइटी सेवक पार्क ए, नई दिल्ली 110059

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी गुलाबपुरा, जिला भीलवाडा।

प्रकरण संख्या :– 147/ 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.10.2025	–: निर्णय :– 1. पत्रावली आज पेश हुई। उभयपक्ष अनुपस्थित। 2. अपीलार्थी ने ऑनलाईन आवेदन–पत्र दिनांक 21.02.2025 से अपील में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी गुलाबपुरा से चाही गई थी, परन्तु प्रत्यर्थी के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील ऑनलाईन कमांक 249718059840656 प्रस्तुत कर, प्रत्यर्थी से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है। प्रकरण दर्ज कर उभयपक्षकारान की तलबी हेतू नोटिस जारी किये गये। 3. लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी गुलाबपुरा से प्राप्त सूचना अनुसार लोक सूचना अधिकारी द्वारा जरिये पत्रांक 2039 दिनांक 27–10–2025 से अवगत कराया गया कि तहसीलदार हुरडा द्वारा अपीलार्थी को तहसील कार्यालय में बुलाकर वांछित सूचना उपलब्ध करा दी गई है। अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 28–10–2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.) (जसमीत सिहं संधू) प्रथम अपीलीय अधिकारी लोक सूचना एवं जिला कलक्टर, भीलवाड़ा	